SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No	
Name and address of the Complainant	

धन्याम् जाख्	
Name , parentage, caste and address of accused	
धनश्याम जारव डा. फुमर शिष्टं 3म 30 HR	
G. etcyc pls vosill	
े शुस्त्रका का अधियोग है। सक्किय विवासणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवासणीय	
क्षा प्राचित्रक में स्वकायिक जी अपराच स्वाच्यार करण	
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission	
आप पर आरोप है कि दिनांक <u>०५ ६ १</u> मुका पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अप	
आधिपत्य में र्ज 1 लीटर / पाव / बोर्ज़ल द्विशी शराब विक्य / परिवहन हेतु रखी।	1
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनी	य
अपराध कारित किया।	
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।	
The state of the s	
प्रकार कि	
The plea of the accused and his examination (if any)	
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।	
Control of the Contro	
व्यनश्यात्र	
च्याबिक मिजिरहे हैं भी में भेणी	
मिछलि क्राक्टम ब्रिकाड लियाड एए कि क्रिक्ट क्राक्टिस में गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)	

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 517117 को घोषित)

	(m) के शामित त्युद्धनीय
01.	अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध का	अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर
सुनाये एवं	समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराघ स्पीकार करना व्यक्त
किया।	112112 miss of a privile ve prise of a
02.	संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के
आधार पर	आबकारी अधि० 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता
के। जसक	पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
00	अभियक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठन
चक की	अवधि तक की सजा एवं रूपये शब्दों में १००० / रूपये के
अर्थदण्ड	से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 0 7 का साधारण
	्या भारताची जाते।
कारावार	जप्तशुदा सम्पत्ति 51 लीटर/पाव/बोतल शराब
04.	जप्तशुदा सम्पात्तए। ००० व्यक्त प्रचात नियमानसार
मूल्यहीन	त एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार
नष्टकर	व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का
	(Chyclolin

पालन किया जावे।

पंकारने शिमा स्याबिक मिंतरहेट प्रथम श्रेणी गोहत जिला-भिण्ड (म.प्र.) मेरे निर्देशन पुर टकित